न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 205/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– प्रभु सिह पुत्र स्व0 मांगीलालसिह जाति राजपूत निवासी प्लोट नंबर 627 ए, न्यू बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर 2– प्रेम सिह पुत्र स्व0 मांगीलालसिह जाति राजपूत निवासी प्लोट नंबर 627 ए, न्यू बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर		1–प्रहलाद सिह पुत्र स्व0 मांगीलाल सिह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नंबर 1,डी मारवाड अभयगढ, के.वी. 1, एयरफोर्स रोड जोधपुर 2–राजकंवर पत्नी स्व0 मांगीलाल सिह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नंबर 1,डी मारवाड अभयगढ, के.वी. 1, एयरफोर्स रोड जोधपुर 3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–9–2011 जो वसीयत प्रकरण संख्या 58/2011 मे तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जोग सिह अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 24–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भिचरली तहसील जोधपुर स्थित खसरा नंबर 18, 19, 22, 24 तथा ग्राम बिनायकिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2 के खातेदार मांगीलाल सिह पुत्र रिछपाल सिह जाति राजपूत थे । उक्त खातेदार मांगीलाल सिह ने अपने जीवनकाल मे उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध मे दिनांक 21–12–2004 को एक वसीयत वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलाद सिह पुत्र मांगीलाल सिह जाति राजपूत के पक्ष मे निष्पादित की तथा उक्त खातेदार मांगीलाल सिह का देहांत दिनांक 5–3–2008 को हो गया । वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलादसिह ने उक्त खातेदारी की भूमि की वसीयत के आधार पर नामांतरकरण उसके पक्ष मे दर्ज करवाने बाबत प्रार्थनापत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष दिनांक 9–6–2011 को प्रस्तुत किया । जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने बाद जांच के रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे वसीयत के आधार पर वसीयत मे वर्णित उक्त कृषि भूमि का नामांतरकरण दर्ज करने बाबत आदेश दिनांक 23–9–2011 को

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भिचरली तहसील जोधपुर स्थित खसरा नंबर 18, 19, 22, 24 तथा ग्राम बिनायकिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2 के खातेदार मांगीलाल सिह पुत्र रिछपाल सिह जाति राजपूत का स्वर्गवास दिनांक 5–3–2008 को हो जाने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन मृतक खातेदार मांगीलाल सिह के प्रथम श्रेणी के वारिसान वर्तमान अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष दिनांक 26–10–2009 को प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब करने पर पटवारी हल्का ने उक्त प्रार्थना पत्र पर यह रिपोर्ट की कि माननीय उच्च न्यायालय से इस प्रकरण मे यथास्थिति के आदेश है जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उसके पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलाद सिह ने उसके पक्ष मे मृतक खातेदार मांगीलाल सिह जी द्वारा की गई वसीयत के आधार पर म्युटेशन उसके पक्ष मे स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष दिनांक 9–6–2011 को पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के विधिक वारिसान मे वर्तमान अपीलांट संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एक आम सूचना का नोटिस दैनिक नवज्योति जोधपुर संस्करण मे प्रकाशित करवाकर वसीयत के गवाहान को सुनकर वसीयत को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलादसिह के हक मे दायर करने बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2011 को पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने स्व0 खातेदार मांगीलाल सिह जी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे की गई वसीयत की ईबारतो को पढकर सुनाते हुए कथन किया कि जब वसीयत मे स्पष्ट उल्लेख था कि वर्तमान अपीलांट संख्या 1 प्रभुसिह उदयपुर मे सेटल्ड है तथा अन्य पुत्र प्रेम सिह वर्तमान अपीलांट संख्या 2 जो कि केरला मे सेटल्ड है तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को इन दोनो पुत्रो को भी नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना परिवार के सदस्यो को नोटिस जारी किये मात्र 45 दिन मे सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिवरूद्ध होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि वसीयत पर जिन दो व्यक्तियो ने साख डाली है उनका परिवार से कोई वास्ता नही है, वे परिवार के सदस्य नही होकर अनजान व्यक्ति है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने समस्त कार्यवाही सरसरी तौर पर जल्दबाजी मे तथा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बदनियतीपूर्ण तरीके से सम्पन्न कर दी इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2011 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मयाद बाद प्रस्तुत की है इसलिए मयाद अधिनियम की धारा 3 मे वर्णित प्रावधान अनुसार मयाद गुजरने के बाद प्रस्तुत अपील को खारीज किया जाना विधि अनुकूल है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपील पेश करने मे हुई देरी का कोई ठोस एवं संतोषप्रद आधार प्रस्तुत नही किया है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विलंब क्षमा करने के प्रार्थना पत्र मे विलंब की अवधि, जानकारी कैसे व कब हुई, इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वर्ष 2008 मे खातेदार स्व0 मांगीलाल सिह जी का देहांत हो गया था जिसकी अपीलांटगण को पूर्ण जानकारी थी । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान यह कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के अलावा ग्राम जोधपुर के खसरा नंबर 632 के संबंध मे भूमि विवाद न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर मे चल रहा है जिसमे अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसमे उसके पिताजी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे वसीयत किये जाने की जानकारी दिनांक 20–10–2009 को होना स्वीकार किया है इसलिए अपीलांट को उक्त वसीयत की जानकारी प्रारंभ से ही हो चुकी थी ऐसे मे अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्य गलत पेश किये है इसलिए अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 नें अपनी उक्त बहस के समर्थन मे बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली है ।

अति० सरकारी अधिवक्ता
जोधपुर

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मांगीलाल सिह जी की स्वअर्जित सम्पति है इसलिए वे अपनी सम्पति का हक हकूक जिनको भी देना चाहे वसीयत के जरिये देने का अधिकार रखते थे तथा उन्होने अपनी सम्पति की वसीयत रेस्पो0 संख्या 1 को विधिवत रूप से की है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित वसीयत को निरस्त करवाने बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है और न ही वसीयत को निरस्त करवाने का कोई प्रकरण पेंडिंग है । वकील रेस्पो0 ने वसीयत के बारे मे कथन किया कि वसीयत पर दो गवाहो ने साख डाली है तथा वसीयत पर साख कोई भी जान पहचान का व्यक्ति डाल सकता है, यह आवश्यक नही कि वे परिवार के सदस्य ही हो । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने उसके पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर म्युटेशन दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियां जिसके सलंग्न वसीयत के गवाहानो के शपथपत्र तथा मृतक मांगीलाल सिह जी की पत्नी का भी शपथ पत्र साथ पेश किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने वसीयत के आधार पर म्युटेशन स्वीकृति के आदेश पारित करने से पूर्व इसकी आम सूचना दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित करवाकर तथा वसीयत के गवाहान के बयान आदि लेकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार मांगीलाल सिह जी की स्वअर्जित सम्पति थी जिसका उन्हे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था इसलिए अपीलांट की उक्त अपील मयाद एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि मांगीलाल सिह जी का देहांत दिनांक 5–3–2008 को हो गया था जबकि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन वर्ष 2011 मे विलंब से क्यो पेश किया । हमे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी ही नही होने से जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23–9–2011 के विरूद्ध दिनांक 9–9–2013 को पेश कर दी थी ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया । ग्राम भिचरली तहसील जोधपुर स्थित खसरा नंबर 18, 19, 22, 24 तथा ग्राम

अति० जिला कलक्टर जोधपुर

बिनायकिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2 के खातेदार मांगीलाल सिह पुत्र रिछपाल सिह जाति राजपूत थे । उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे खातेदार मांगीलाल सिह ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 21–12–2004 को एक वसीयतनामा अपने एक पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलाद सिह पुत्र मांगीलाल सिह जाति राजपूत के पक्ष मे निष्पादित किया तथा उक्त खातेदार मांगीलाल सिह का देहांत दिनांक 5–3–2008 को हो गया ।

उक्त खातेदार मांगीलाल सिह के देहांत के पश्चात उसके द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलादसिह ने अपने पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर उक्त खातेदारी की भूमि का म्युटेशन अपने नाम दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 9–6–2011 को प्रस्तुत किया तथा उक्त आवेदन पत्र के सलंग्न खातेदार मांगीलाल सिह जी के मृत्यु का प्रमाण पत्र, उक्त खातेदार द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलादसिह के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे की छायाप्रति तथा वसीयत के दोनो गवाहो के शपथपत्र एवं मृतक खातेदार मांगीलाल सिहजी की पत्नी राजकंवर का शपथपत्र आदि प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर म्युटेशन दर्ज करने का प्रकरण दर्ज कर मृतक के उक्त खातेदारी की भूमि का वसीयत के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व एक आम सूचना दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित करवाकर किसी को इस संबंध मे कोई आपत्ति हो तो आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन मे आपत्ति आमंत्रित की गई परंतु उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वसीयत के दोनो गवाहान के बयान लिये गये जिसमे उक्त वसीयत को सही होना तथा मृतक खातेदार की पत्नी राजकंवर के भी बयान कलमबद्ध किये गये जिसमे उसने वसीयत के आधार पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलाद सिह के पक्ष मे म्युटेशन दर्ज करने बाबत सहमति प्रकट की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2011 को पारित किया है, उसके विरूद्ध अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपील दिनांक 9–9–2013 को लगभग 2 वर्ष के विलंब से पेश की है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मे जो विलंब के कारणों का उल्लेख किया गया है, वह सही नही है क्योकि अपीलांटगण को रेस्पो0 संख्या 1 प्रहलाद सिह के पक्ष मे उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे की गई वसीयत की जानकारी दिनांक 20–10–2009 को ही हो चुकी थी, परंतु अपीलांटगण ने यह अपील गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है ।

अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील मे ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज या सबूत पेश नही किया है जिससे यह प्रकट हो कि उक्त अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार

मांगीलाल सिह की पुश्तैनी भूमि रही हो जिसमे उनका भी पुत्र के रूप मे उतराधिकार मे कोई अधिकार बनता हो जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध वसीयतनामे के दस्तावेज मे मृतक खातेदार मांगीलाल सिह को उक्त अपीलाधीन खातेदारी की भूमि के संबंध मे खातेदारी राईट्स सेटलमेंट के समय प्रदान किये हुए होना बताया अर्थात् उक्त खातेदारी की भूमि मृतक मांगीलाल सिह की स्वअर्जित होने से खातेदार मांगीलाल सिह को अपनी खातेदारी की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने उनके समक्ष वसीयत के आधार पर म्युटेशन दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर वसीयत के गवाहान से उक्त वसीयत को सही होने की पुष्टि स्वरूप बयान लेकर तथा आम सूचना प्रकाशित कराने के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

अपीलांटगण यदि अपने पिता स्व0 मांगीलाल सिह की उक्त खातेदारी की भूमि मे किसी प्रकार का हक अधिकार होना मानते है तो वर्तमान रेस्पो0 प्रहलादसिह पुत्र मांगीलाल सिह के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामे को सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त कराने की कार्यवाही करनी होगी, जो अब तक नही की जाना बताया ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल) 24.9.2018
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर